प्रेस नोट
दिनांक 04.10.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-770/25, धारा 109(1),191(2),191(3),190 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हनुमंत पुत्र शिवानंद कुमार शुक्ला को महादेवा क्रासिंग के पास पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को वादी त्रिलोकी पाण्डेय पुत्र महेश्वरी नि0 बुधईपुरवा पूरे शिवा बख्तावर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वे लोग मूर्ति विसर्जन करवाने जा रहे थे तभी गाँव के ही हनुमंत लाल शुक्ला व अन्य लोग मौके पर आकर विवाद करने लगे और हनुमन्त लाल शुक्ला ने अपने पास रखी पिस्टल से उन पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया लेकिन वह गोली बीच बचाव करने में निखलेश शुक्ला व सत्येन्द्र शुक्ला को लग गई। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 04.10.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त हनुमंत लाल शुक्ला पुत्र शिवानंद कुमार शुक्ला को महादेवा क्रासिंग के पास पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हनुमंत पुत्र शिवानंद कुमार शुक्ला नि0 बुधई पुरवा पूरे बख्तावर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-770/25, धारा 109(1),191(2),191(3),190 बीएनएस थाना को0नगर गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सोनू कुमार
02. उ0नि0 श्री विभव तिवारी चौकी प्रभारी न्यायालय मय हमराह
03. कां0 राजेश कुमार
04. कां0 अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।